

फर्द अहकाम

न्यायालय भू-अभिलेख अधिकारी (SDO) नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रार्थी :- तहसीलदार

विपक्षी :- राजस्थान राज्य

किस्म मुकदमा :- विविध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 131, 132

पत्रावली सं० :- 57/19

दिनांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर
पार्टी तथा
सूचनाए जारी
की गई

31-5-19

राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04/जयपुर दिनांक 10.08.2016 द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना में तहसीलदार खमनोर द्वारा रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अधिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सोई की भागल पटवार हल्का खमनोर तह0 खमनोर जिला राजसमन्द के आ0नं0 4090 रकबा 7-01 बिस्वा किस्म राजकीय बिलानाम मे से रकबा 0-08 बिस्वा मौके पर चल हे कदीमी व आमजन के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार खमनोर की रिपोर्ट एवं संलग्न पटवारी, भू0अ0नि0 कि रिपोर्ट व संलग्न रेकार्ड की प्रमाणित प्रति के आधार एवं तहसीलदार खमनोर के द्वारा अनुशंषा करने से ग्राम सोई की भागल पटवार हल्का खमनोर तह0 खमनोर जिला राजसमन्द के आ0नं0 4090 रकबा 7-01 बिस्वा किस्म राजकीय बिलानाम मे से रकबा 0-08 बिस्वा विद्यमान रास्ते के संबंध में उक्त गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 60 एच व अतिरिक्त नियम 58,59 व 86 के प्रावधान अनुसार ग्राम सोई की भागल पटवार हल्का खमनोर तह0 खमनोर जिला राजसमन्द के आ0नं0 4090 रकबा 7-01 बिस्वा किस्म बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त मे से रकबा 0-08 बिस्वा को किस्म गैर मुमकिन रास्ता एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

तहसीलदार खमनोर रास्ते में प्रयुक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में अलग खसरा नम्बर देते हुए बिलानाम भूमि को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त किस्म भूमि के कॉलम में दर्ज करे। एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में तरमीम करे। नक्शा (ट्रेस) उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपरोक्तानुसार आदेश जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खमनोर को भिजवाया जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(निशा)

भू-अभिलेख अधिकारी
(SDO) नाथद्वारा